# न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
कमरा, मालिक(अजय चौधरी)

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला – सहरसा, केस संख्या– **428 / 2020–21**,

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त कमरा के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

| ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **–: आदेश :–** <br> प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक– 202/म0नि0 एवं दिनांक–10.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 80/2020, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं कमरा के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–सिटानाबाद वार्ड नं0 10, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, घटना की तिथि–06.02.2020 के साथ वर्णित है कि– <br> "गुप्त सूचना मिली कि अजय चौधरी पे0 स्व0 ठिठुर चौधरी सा0–सिटानाबाद वार्ड नं0 10 थाना बख्तियारपुर जिला–सहरसा अ0श0 का व्यवसाय करता है। शाम के समय में अवैध शराब का अंजान व्यक्तियों के द्वारा शराब का परिवहन किया जाता है। सूचना के आलोक में अपने अधिनस्थ उत्पाद महिला व पुरूष कर्मी प्रतिनियुक्त सैफ व गृह रक्षक के साथ समय लगभग शाम पाँच बजे पहुँचते ही एक व्यक्ति पुलिस बल को देखते ही गली के रास्ते पीछे की तरफ भागा, सभी गाड़ियो के रोककर उसे विधिवत रोकने का प्रयास किया लेकिन भागने में सफल रहा। उत्पाद सदल–बल को देखकर आए लोगो में से दो व्यक्ति को स्वतंत्र साक्षी मानकर टीम के सभी सदस्यों का जमा तलाशी व सभी गाड़ी का स्वतंत्र गवाह के समक्ष तलाशी उपरांत गुप्त सूचना के अनुसार अजय चौधरी के आवासीय घर व परिसर की सघन तलाशी क्रम में अजय चौधरी के ईंट निर्मित पक्के के मकान के आँगन के तरफ के कमरे में लगे चौकी के नीचे फर्श पर रखे उजले रंग के पन्द्रह लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के ढ़क्कन युक्त वाल्टी में लगभग 10 ली0 अ0म0चु0 शराब पाया। उपस्थित गवाहों के समक्ष अजय चौ० व उनके अन्य परिजन की खोजबीन की गई। घर में कोई व्यक्ति उस समय नहीं मिला। अ०श० के कारोबारी के पूछताछ में स्वतंत्र गवाहों ने अजय चौधरी को अवैध शराब का कारोबारी बताया। तत्पश्चात् वि0म0नि0 | |

6

व उत्पाद अधि0 2018 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत अ0 उत्पाद वस्तु को जप्त कर जप्त नमूना प्रदर्श तैयार किया। भागने वाले व्यक्ति की पहचान स्वतंत्र दोनों गवाहों ने अजय चौधरी पे० ठिठुर चौ० के रूप में की गई। फरार अभियोग दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई घटना स्थल पर उपस्थित गवाहो के समक्ष विधिवत रूप से सम्पन्न की गई। जप्ती सूची को एक प्रति ईट निर्मित मकान के दीवार पर चिपका दी गई।''

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण करने का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त कमरा के अधिहरण के बिन्दु पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

कमरा मालिक अजय चौधरी, पिता– स्व0 ठिठर चौधरी, साकिन– सिटानाबाद वार्ड नं०– 10, थाना–बख्तियारपुर जिला–सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

कमरा मालिक का कहना है कि भवदीय के ज्ञापांक–449 दिनांक–18.09.2020 के माध्यम से उपरोक्त वाद में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वे निर्दोष है तथा निहायत हीं गरीब है जो मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। उनके नाम से केवल चार धूर जमीन है, इसके अलावा उन्हें कहीं कोई अन्य जमीन नहीं है। उनके कमरे से किसी भी प्रकार का मद्य (शराब) बरामद नहीं हुआ है। स्थानीय राजनीति के कारण उन्हें उपरोक्त वाद में फसाया गया है। निर्गत नोटिश में मकान से संबंधित जमीन का न तो कोई विवरण है व न ही चौहद्दी दर्शाया गया है। इस प्रकार वाद की कार्रवाई अनिश्चित और अस्पष्ट है।

प्रतिवादी के ओर से उपरोक्त तथ्यो के आधार पर दाखिल स्पष्टीकरण को स्वीकार कर कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त कमरा का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त कमरा को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि प्राप्त प्रस्ताव में जप्त परिसर के संबंध में स्पष्ट विवरणी नहीं दी गयी। अतः उक्त अधिहरण प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः, उक्त जप्त परिसर को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

26/12/2020

समाहर्त्ता
सहरसा।

26/12/2020

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 117 / न्याया०,                    सहरसा, दिनांक 28·01·21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

28.01.21

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

28/01/21